न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण(दक्षिणी), प्रयागराज ।

पीठासीन अधिकारी– निकुंज मित्तल (एच0जे0एस0)

प्रतिकर याचिका सं0– 40/2017

1–श्रीमती रूपा उम्र लगभग 25 वर्ष पत्नी स्व0विरेन्द्र कुशवाहा उर्फ विरेन्द्र कुमार कुशवाहा
2–कंधई लाल उम्र लगभग 60 वर्ष, पुत्र स्व0गंगा प्रसाद कुशवाहा ....(बादहू मृतक)
3–श्रीमती सुन्दरी देवी उम्र लगभग 55 वर्ष पत्नी कन्धई लाल ....(बादहू मृतक)
4–रिशभ उम्र लगभग 7 वर्ष पुत्र स्व0विरेन्द्र कुशवाहा
5–रितेश उम्र लगभग 5 वर्ष पुत्र स्व0विरेन्द्र कुशवाहा
निवासीगण–ग्राम–गौहनिया, पोस्ट जसरा, थाना–घूरपुर, जिला–इलाहाबाद...........याचीगण

बनाम

1–बजरंग सिंह पुत्र एच0एल0सिंह निवासी 155 हनुमान वार्ड नं0 7, चाकघाट, पोस्ट व थाना चाकघाट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा ....वाहन स्वामी
2–मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मैग्मा हाउस 24 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता ....बीमा कम्पनी
3–राजकिशोर केवट पुत्र शिवप्रसाद केवट निवासी ग्राम, पोस्ट व थाना घूरपुर, जिला इलाहाबाद ....वाहन चालक

निर्णय

प्रस्तुत प्रतिकर याचिका अन्तर्गत धारा 166, 140 एम0 वी0 एक्ट 1988 के अन्तर्गत मोटर दुघटना में विरेन्द्र कुमार कुशवाहा उर्फ विरेन्द्र कुशवाहा उम्र लगभग 28 वर्ष की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप विपक्षीगण से रूपया 30,00,000/– प्रतिकर ब्याज सहित दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.12.2016 को समय लगभग 8.30 बजे रात्रि ग्राम गौहनिया, जे0पी0एस0 स्कूल के सामने ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये मोटर साइकिल संख्या यूपी70डीके/3284 के साथ–साथ बगल में खड़े विरेन्द्र कुमार कुशवाहा को भी टक्कर मार दिया जिससे विरेन्द्र कुमार कुशवाहा को गम्भीर प्रकृति की चोटें आई। वहाँ से इलाज हेतु स्वरुप रानी अस्पताल ले जाया गया जहाँ डाक्टरों नें उसे मृत घोषित कर दिया।

विरेन्द्र कुमार कुशवाहा ने पोल्ट्री फार्म खोला था एवं दूध का व्यवसाय भी करता था।दुघटना के समय मृतक की उम्र लगभग 28 वर्ष थी। दुर्घटना में असामयिक उसकी मृत्यु हो जाने से याचीगण के आय का साधन समाप्त हो गया याचीगण बेसहारा हो गये। मृतक विरेन्द्र कुमार कुशवाहा की असामयिक मृत्यु हो जाने से आश्रितगण उसके प्रेम व स्नेह से वंचित हो गये। उपरोक्त आधार पर याचीगण द्वारा विपक्षीगण से प्रतिकर राशि दिलाये जाने की याचना की है।

वाहन स्वामी विपक्षी संख्या–1 बजरंग सिंह एवं वाहन चालक विपक्षी संख्या–3 राजकिशोर केवट द्वारा संयुक्त जवाबदावा 26क दाखिल कर याचिका के अंधिकांश कथनों से इनकार करते हुये कथन किया गया कि ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 का पंजीकृत स्वामी प्रतिवादी संख्या–1 बजरंग सिंह है तथा उक्त ट्रक का चालक प्रतिवादी संख्या–3 राजकिशोर केवट है, जिसके पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। राज किशोर केवट का ड्राइविंग लाइसेंस संख्या यूपी70 19930232845 है जो दिनांक 08.04.1993 से 31.12.2020 तक वैध है तथा उपरोक्त वाहन के सभी कागजात वैध थे। यह भी कथन किया गया कि उसका वाहन ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 विपक्षी संख्या–2 मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से दिनांक 29.05.2016 से 28.05.2017 तक बीमित था जो दुर्घटना के समय वैध एवं प्रभावी था। उपरोक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नही हुयी। विपक्षी संख्या 3 राज किशोर केवट

उक्त वाहन को सावधानी पूर्वक चला रहा था। उपरोक्त आधारों पर याचिका स्वीकार किये जाने पर प्रतिकर की धनराशि अदायगी की जिम्मेदारी विपक्षी संख्या–2 मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी की होगी।

विपक्षी संख्या–2 मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिवाद पत्र 25क प्रस्तुत कर याचिका के अधिकांश कथनों से इनकार करते हुये कथन किया गया है कि वाहन ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति एवं बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा था। कथित दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण घटित हुयी है। याचीगण को याचिका के तथ्य स्वयं साबित करने हैं। प्रश्नगत वाहन के स्वामी द्वारा उत्तरदाता को दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी है। याचीगण द्वारा मांगी गयी धनराशि अत्यधिक मनगढ़न्त व परिकल्पनाओं पर आधारित है। उपरोक्त आधारों पर याचिका खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

पक्षकारों के अभिबचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये:–

1–क्या दिनांक 24.12.2016 को समय लगभग 08.50 बजे रात्रि जब याचिनी के पति वीरेन्द्र कुशवाहा उर्फ वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा जब ग्राम गौहनिया, जे.पी.एस. स्कूल के सामने अन्तर्गत थाना घूरपुर में सड़क के किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे कि इलाहाबाद की तरफ से वाहन ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 उक्त वाहन को चालक ने बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये आया और याचिनी के पति को जोरदार टक्कर मार दिया जिससे उसे गम्भीर चोटें आयी इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया ?

2–क्या प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक समय व स्थान पर दुर्घटना में संलिप्त वाहन ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से बीमित था और वाहन बीमा की शर्तों के अनुरुप चलाया जा रहा था ?

3–क्या प्रश्नगत दुर्घटना उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर दुर्घटना में संलिप्त ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 को वैध अनुज्ञप्तिधारी चालक द्वारा चलाया जा रहा था तथा दुर्घटना के समय उसके सभी प्रपत्र वैध एवं प्रभावी था ?

4–क्या याचीगण किसी अनुतोष को पाने के अधिकारी है, यदि हां तो कितना व किस पक्ष से?

याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू01 श्रीमती रुपा देवी एवं पी0डब्लू02 मनोज कुमार मौर्या को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 8ग से प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृतक वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा का ड्राइविंग लाइसेन्स, ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 के पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, परमिट, मालयान के परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, कम्प्यूटराइज्ड इमीसन टेस्ट सर्टीफिकेट की छायाप्रति, राज किशोर केवट का चालन अनुज्ञप्ति, सूची 12ग से राजकिशोर पटेल का जमानत प्रार्थनापत्र, राजकिशोर का जमानत आदेश पत्र, वाहन को अवमुक्त करने का प्रार्थना पत्र, ट्रक के सुपुर्दगी का आदेश, वाहन स्वामी द्वारा दिये गये अण्डरटेकिंग, 203क की रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि, सूची 19ग से कंधई लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, सुन्दरी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र, सूची 28ग से आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि, दुर्घटनास्थल का नक्शा नजरी, मृतक वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा का शव विच्छेदन आख्या प्रपत्र, नकल निर्णय मय सुलहनामा(सी0पी0–163/2017, नारायन बनाम बजरंग सिंह आदि) दाखिल किया गया है।

विपक्षी की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में सूची 27ग से राज किशोर केवट के चालन अनुज्ञप्ति, ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 की

बीमा पालिसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, अनुज्ञापत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

याचीगण एव विपक्षी के अधिवक्तागण की बहस सुनी, लिखित बहस तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विनिश्चय

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–1

उपरोक्त वाद बिन्दु वाहन ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 के चालक राजकिशोर केवट के दायित्व के सम्बन्ध में विरचित किया गया है।

याचिका में कथन किया गया है कि दिनांक 24.12.2016 को लगभग 08.50 बजे रात्रि याचिनी के पति वीरेन्द्र कुशवाहा उर्फ वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा ग्राम गौहनिया, जे.पी.एस. स्कूल के सामने अन्तर्गत थाना घूरपुर में सड़क के किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे कि इलाहाबाद की तरफ से वाहन ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 का चालक बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये मोटर साइकिल संख्या यूपी70डीके/3284 के साथ–साथ बगल में खड़े विरेन्द्र कुमार कुशवाहा को जोरदार टक्कर मार दिया जिससे वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा को गम्भीर चोटें आयी इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पी0डब्लू01 श्रीमती रुपा ने साक्ष्य में कहा कि दुर्घटना दिनांक 24.12.2016 को समय लगभग 08.30 बजे रात्रि जे.पी.एस. स्कूल के सामने गौहनिया थाना घूरपुर ट्रक द्वारा की गयी थी। दुर्घटना में नारायण उर्फ बबलू मौर्या को भी चोटें आई थी। दुर्घटना से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट दाखिल किये हैं।

पी0डब्लू0 2 मनोज कुमार मौर्या ने साक्ष्य में कहा कि दुर्घटना दिनांक 24.12.2016 को समय लगभग 08.30 बजे रात्रि जे.पी.एस. स्कूल के सामने गौहनिया थाना घूरपुर में हुयी थी। दुघ टिना में विरेन्द्र कुमार कुशवाहा की मृत्यु हुयी थी। यह दुर्घटना ट्रक से हुयी थी।दुर्घटना के दिन वह अपनी मोटरसाईकिल संख्या–यूपी70डीके/3284 से जारी बाजार से अपने घर आ रहा था। जैसे ही जे0पी0एस0 स्कूल के सामने पहुंचा देखा कि नारायण उर्फ बबलू मौर्या एवं वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा जे0पी0एस0 स्कूल के सामने खड़े थे उसी समय वह अपनी मोटरसाइकिल रोककर नारायण उर्फ बबलू मौर्या एवं वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा से बात कर ही रहा था कि एक ट्रक जिसका नम्बर एमपी17एचएच/2777 का चालक बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये बुरी तरह से नारायण उर्फ बबलू एवं वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा को भीषण टक्कर मार दिया जिससे नारायण उर्फ बबलू मौर्या एवं वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा को गम्भीर चोटें आयी। दोनो चोटहिलों को इलाज के लिये स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज ले जाया गया जहाँ पर वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा को डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस दुर्घटना में पूरी गलती ट्रक वाले की थी, ट्रक का चालक ट्रक को मौके पर छोडकर भाग गया था। दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना घूरपुर प्रयागराज में उसी दिन लिखाई थी। इस दुर्घटना को मेरे अलावा राम सिंह पाल, सुन्दर लाल कुशवाहा तथा बहुत से लोगों ने देखा था। प्रतिपरीक्षा में कहा कि पुलिसवालों को मैने बयान दिया था, घ टनास्थल के बारे में बताया था। मृतक वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा को मैं स्वरूप रानी अस्पताल ले गया था। रामसिंह पाल ने एफ0आई0आर0 की तहरीर लिखी थी और मैने तहरीर पर दस्तखत कर दिया था।

प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू01 श्रीमती रूपा, साक्षी पी0डब्लू02 मनोज कुमार मौर्या ने मौखिक साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि दुर्घटना ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 के चालक राज किशोर केवट की लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुये दुर्घटना कारित की गयी जिससे विरेन्द्र कुमार कुशवाहा को गम्भीर चोटें आयी और उसकी मृत्यु हो गयी।

पत्रावली पर याचीगण की ओर से दुर्घटना से सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 0544/2016 अन्तर्गत धारा 279, 304ए एवं 427 भा0दं0सं0 थाना घूरपुर जिला प्रयागराज की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की दिनांक व समय वही अंकित है जो कि याचीगण द्वारा याचिका में दर्शायी गयी है। उपरोक्त दाण्डिक मुकदमें मे आरोप पत्र ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 के चालक राज किशोर केवट के विरूद्ध सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा प्रेषित किया गया है जिसकी फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। निर्णयन विधि हरीश भाई चमन लाल पांचाल व अन्य बनाम डी जयन्ती लाल पांचाल व अन्य ए0आई0आर0 1999 गुजरात पृष्ठ 33 तथा नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम संजय कुमार व अन्य 2011(3) टी0ए0सी0 पृष्ठ 203(पंजाब व हरियाणा) के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि दुर्घटना में आलिप्त आरोपित वाहन का चालक सम्बन्धित आपराधिक वाद में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त परीक्षित नहीं हो रहा है तो ऐसे चालक की भागिता दुर्घटना में प्रमाणित मानी जायेगी और आरोपित चालक ही दुर्घटना के लिये उत्तरदायी होगा।

उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 24.12.2016 को समय लगभग 8.30 बजे रात्रि ग्राम गौहनिया, जे0पी0एस0 स्कूल के सामने ट्रक सख्या एमपी17एचएच/2777 के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाते हुये विरेन्द्र कुमार कुशवाहा को टक्कर मार दिया जिससे विरेन्द्र कुमार कुशवाहा को गम्भीर प्रकृति की चोटे आई वहाँ से इलाज हेतु स्वरुप रानी अस्पताल ले जाया गया जहाँ डाक्टरों नें उसे मृत घोषित कर दिया। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या–1 निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–2

उपरोक्त वाद बिन्दु दुर्घटना के समय वाहन ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 विपक्षी संख्या–2 मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी से बीमित होने के सम्बन्ध में विरचित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में वाहन ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 के बीमा पालिसी की प्रति कागज संख्या–27ग/3 उपलब्ध है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन दुर्घटना की तिथि पर विपक्षी संख्या–2 मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से बीमित था। जो दिनांक 29.05.2016 से 28.05.2017 तक वैध एवं प्रभावी था। विपक्षी सख्या–2 द्वारा उक्त अभिलेख से इनकार नहीं किया गया है तथा इसके खण्डन में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दुर्घटना की दिनांक को वाहन ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 विपक्षी संख्या–2 मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से वैध रूप से बीमित था तथा शर्तो के अनुरुप चलाया जा रहा था। तदनुसार वाद बिन्दु सख्या–2 निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या:–3

उपरोक्त वाद बिन्दु दुर्घटना के समय वाहन ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति एवं वाहन के वैध प्रपत्रों के सम्बन्ध में विरचित

किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में चालक राज किशोर केवट की चालन अनुज्ञप्ति एवं ट्रक के प्रपत्रों की प्रतियां दाखिल की गयी हैं। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दुर्घटना की तिथि पर चालक राज किशोर केवट के पास वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति तथा ट्रक के सभी प्रपत्र थे। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा उक्त अभिलेखों से इनकार नहीं किया गया है तथा इसके खण्डन में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति मे यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना के समय विपक्षी संख्या–3 राज किशोर केवट वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति पत्र एवं सभी प्रपत्रों के साथ प्रश्नगत वाहन को संचालित किया जा रहा था। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या–3 निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या:–4

उपरोक्त वाद बिन्दु अनुतोष के सम्बन्ध में निर्मित किया गया है। याचीगण द्वारा अपनी याचिका मे 30,00,000/–रूपया प्रतिकर दिलाये जाने की याचना की गयी है। प्रस्तुत याचिका मृतक की पत्नी, पुत्र एवं पुत्री द्वारा योजित की गयी है। जो कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि हैं। अतः प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

याचिका में कथन किया गया है कि मृतक पोल्ट्री फार्म एवं दूध का व्यवसाय करता था और उससे 15,000/–रूपया मासिक कमाता था। उसकी आय पर ही याचीगण आश्रित थे। विरेन्द्र कुमार कुशवाहा की दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार की आय का श्रोत समाप्त हो गया है तथा याचीगण को विषम आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी आय से याचीगण का भरण पोषण होता था।

पी0डब्लू01 श्रीमती रुपा ने मौखिक साक्ष्य में कथन किया है कि उसके पति घटना के पूर्व पोल्ट्री फार्म एवं दूध के व्यवसाय से मु0 15,000/–रुपया प्रतिमाह कमा लेते थे। उसके पति की आय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख दाखिल नही किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान सामाजिक परिवेश में मृतक वीरेन्द्र कुमार की मासिक आय 6000/–रुपया सांकेतिक रूप से माना जाना न्यायोचित है।

याचिका में मृतक विरेन्द्र कुमार कुशवाहा की आयु दुर्घटना के समय 28 वर्ष अंकित है। मृतक विरेन्द्र कुमार कुशवाहा के शव विच्छेदन आख्या की सत्यापित प्रतिलिपि में आयु 28 वर्ष दर्शित की गयी है। मृतक विरेन्द्र कुमार कुशवाहा के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति में उसकी जन्म तिथि 26.04.1989 अंकित है। अतः मृतक विरेन्द्र कुमार कुशवाहा की उम्र दुर्घटना के समय 28 वर्ष निर्धारित किया जाना न्यायोचित होगा।

स्पेशल लीव पिटीशन संख्या 25590/2014 नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य में पारित निर्णय के आधार पर प्रश्नगत मामले में निर्धारित आय में 40 प्रतिशत भविष्य की नुकसानी हेतु जोड़ी जायेगी। अतः मृतक की मासिक आय 6000+2400 रुपये कुल 8400/–रूपये निर्धारित करना न्यायोचित होगा। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय 8400X12= 1,00,800/–रूपया होती है।

याचिका में मृतक के आश्रितों की संख्या 5 दर्शायी गयी है वर्तमान में याची पर 3 आश्रितगण शेष हैं, अतः मृतक यदि जीवित रहता तो अपनी आय का 1/3 भाग अर्थात 33,600/–रूपया अपने उपर अवश्य खर्च करता। इस प्रकार व्यक्तिगत खर्च की कटौती के बाद 1,00,800–33,600=67,200/–रूपया उसकी वार्षिक आय नियत की जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयन विधि व्यवस्था श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन एवं अन्य 2009 पेज 3104 के अनुसार वर्तमान मामले के मृतक की आयु में 17 का गुणांक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार आश्रितों के लिये धनराशि रूपये 67,200 X 17=11,42,400/–रूपये होती है।

प्रस्तुत मामले में सम्पदा क्षति, दाह संस्कार एवं सम्पदा क्षति एवं दाम्पत्य साहचर्य हेतु 15,000+15,000+40,000/–रूपये भी याचीगण को दिलाया जाना न्यायोचित है।

इस प्रकार याचीगण कुल क्षतिपूर्ति रूपया 11,42,400+15,000+15,000+40,000= 12,12,400/–रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

वाद बिन्दु सख्या–1 के निस्तारण में यह निष्कर्ष आया है कि प्रश्नगत दुर्घटना आक्रामक ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 के चालक राज किशोर केवट की लापरवाही के कारण घटित हुयी। ऐसी स्थिति में याचीगण कुल 12,12,400/–रूपया प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इस प्रकार धनराशि की अदायगी का दायित्व ट्रक संख्या एमपी17एचएच/2777 की बीमा कम्पनी विपक्षी संख्या–2 मैग्मा एचडीआई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की होगी। याचीगण कुल प्रतिकर धनराशि पर साक्ष्य की तिथि 01.08.2024 से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक व्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तदनुसार वाद बिन्दु सख्या–4 निस्तारित किया जाता है।

जहां तक उक्त क्षतिपूर्ति के व्यवस्थापन का प्रश्न है क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि 12,12,400/–रूपया होती है। अतः उपरोक्त धनराशि में से याचिनी संख्या–1 श्रीमती रूपा मृतक की पत्नी 5,12,400/–रुपया मय व्याज एवं शेष धनराशि 7,00,000/–रुपये में से याचीगण 4 व 5 कमशः रिषभ एवं रितेश बराबर–बराबर 3,50,000–3,50,000/–रुपये मय ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होगे। याचिनी श्रीमती रूपा को प्राप्त होने वाली धनराशि में से 60 प्रतिशत धनराशि एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से नकद प्राप्त करेगी एवं 40 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिये निवेशित की जायेगी। याची सख्या–4 व 5 कमशः रिषभ एवं रितेश अवयस्क हैं अतः उनके अंश की धनराशि उनकी वयस्कता की तिथि तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में निवेशित की जायेगी जिसे वे परिपक्वता पर न्यायालय के आदेश से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

इसी दुर्घटना से सम्बन्धित याचिका संख्या–163/2017 नारायन बनाम बजरंग सिंह आदि समझौते के आधार पर दिनांक 11.12.2021 को निस्तारित हो चुकी है।

आदेश

प्रतिकर याचिका 40/2017 विपक्षी संख्या–2 मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध मुबलिग 12,12,400/–रुपया (बारह लाख बारह हजार चार सौ) प्रतिकर हेतु स्वीकार की जाती है। याचीगण प्रतिकर की धनराशि पर साक्ष्य की तिथि 01.08.2024 से अन्तिम भुगतान होने तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक व्याज भी प्राप्त करेंगे। विपक्षी संख्या–2 मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह एक माह के अन्दर समस्त धनराशि आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिविल कोर्ट इलाहाबाद में संचालित अधिकरण के बचत खाता संख्या–6177000100113775 आईएफएससी कोड–पीयूएनबी 0617700 में जमा करें।

क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि 12,12,400/–रूपया होती है। अतः उपरोक्त धनराशि में से याचिनी श्रीमती रूपा मृतक की पत्नी 5,12,400/–रुपया मय ब्याज एवं शेष धनराशि

7,00,000/–रुपये में से याचीगण रिषभ एवं रितेश बराबर–बराबर 3,50,000–3,50,000/–रुपये मय ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होगे। याचिनी श्रीमती रूपा को प्राप्त होने वाली धनराशि में से 60 प्रतिशत धनराशि एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से नकद प्राप्त करेगी एवं 40 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिये निवेशित की जायेगी। याची संख्या–4 व 5 क्रमशः रिषभ एवं रितेश अवयस्क हैं अतः उनके अंश की धनराशि उनकी वयस्कता की तिथि तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में निवेशित की जायेगी जिसे वे परिपक्वता पर न्यायालय के आदेश से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

यदि याचीगण कोई प्रतिकर धनराशि पूर्व में प्राप्त कर चुके हों तो उक्त धनराशि एवार्ड की धनराशि में समायोजित की जाए।

तदनुसार पंचाट तैयार किया जाय।

दिनांक–25.07.2026

(निकुंज मित्तल) 25/7/2026
पी0ओ0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण(दक्षिणी),
प्रयागराज।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया है।

दिनांक–25.07.2026

(निकुंज मित्तल) 25/7/2026
पी0ओ0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण(दक्षिणी),
प्रयागराज।